राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(12)नविवि/सीकर/2021 **जयपुर, दिनांकः–** 05 APR 2023

अधिसूचना

यह कि नगर विकास न्यास, सीकर को उसके अवाप्ति क्षेत्राधिकार में स्थित नगर ग्राम जगमालपुरा, भादवासी एवं शिवसिंह पुरा की भूमि पर फतेहपुर सडक से नवलगढ सडक तक सडक निर्माण हेतु 6.5 किमी. लम्बाई हेतु 16.3359 हेक्टेयर अवाप्ताधीन भूमि (विवरण संलग्न) में आने वाले खातेदारो/हितबद्ध व्यक्तियों के द्वारा सहमति नहीं दिये जाने से, अवाप्त की जाने वाली भूमि की जनहित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर के द्वारा उक्त भूमि को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 एवं इस संबंध में जारी राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध जिला कलक्टर, सीकर को पत्रांक 6321 दिनांक 21.12.2022 द्वारा किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment Study) का निर्धारण कार्य निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर से प्राप्त पत्र कमांक न.वि.न्यास./सामान्य/2021/3732 दिनांक 24.11.2021 व कमांक 6342 दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्रस्तावित नगर विकास न्यास, सीकर में स्थित भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में अवाप्ति का विवरण तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण प्राप्त हो चुका है। सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर के उक्त पत्र द्वारा प्राप्त उक्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर, सीकर को एतद्द्वारा प्राधिकारी अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर स्वयं के स्तर से अधिनियम के विधिक प्रावधानान्तर्गत या राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में से किसी एक से उक्त कार्य करवा सकते हैं। राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के साथ संलग्न प्रारूप 2 के भाग ''ए'' में अंकित टर्म ऑफ रेफरेन्स इस प्रकरण में मानी जावेगी। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित समय में उक्त कार्य संपादित करें। साथ ही उक्त नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप 03 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

भवदीया,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर, सीकर
4. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान राजपत्र के असाधारण में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय